राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14609/2023

1. हितेश चंद्र भट्ट पुत्र प्रवीण चंद्र भट्ट, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट सामलिया, तहसील सागवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)।

2. नितिन कुमार व्यास पुत्र ललित चन्द्र व्यास, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट पापर्डी बड़ी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

3. अरुण कुमार दवे पुत्र जगदीश चंद्र दवे, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 415, पोस्ट अंजना, तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

4. गिरीश चंद्र भट्ट पुत्र रमेश चंद्र भट्ट, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट नंदोर, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान (शिक्षक लेवल 2-अंग्रेजी के लिए आवेदन किया है)। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर 302018.

----प्रतिवादी

इससे संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15261/2023

संजय राठौर ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य ---प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15340/2023

कुंतेश कुमार जोशी ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य ---प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15439/2023

धर्मेंद्र कुमार व्यास ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य ---प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15829/2023

विनोद कुमार चौबीसा ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य ----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17206/2023

गिरीश कुमार जोशी ---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य ---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: वीसी पर श्री रघुनंदन शर्मा जी

श्री श्याम पालीवाल.

श्री पवन सिंह राठौड़।

श्री रमेश कुमार.

श्री डी.एस. पिडियार।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मनीष पटेल, एएजी ए/डब्ल्यू

श्री दीपक चांडक.

श्री विनित सनाढ्य का सहयोग रहा

श्री प्रियांशु गोपा.

श्री मानवेन्द्र के.एस. भाटी a/w

श्री अनुराग भोजवानी।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>13/05/2024</u>

1. उपरोक्त छह रिट याचिकाएँ, संक्षेप में, निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ हैं,

जिन्हें सुविधा के लिए, मुख्य मामले एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14609/2023 से लिया जा रहा है:

"i). प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को टीएसपी क्षेत्र से संबंधित होने के आधार पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट न देने और उन्हें शिक्षक (स्तर-2) अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति से वंचित करने की कार्रवाई को कृपया अवैध, अन्यायपूर्ण, मनमाना, कानून की नजर में बुरा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 का उल्लंघन करने वाला और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 265(i)(a) का स्पष्ट उल्लंघन घोषित किया जाए; और/या

ii) प्रतिवादियों को कृपया शिक्षक (स्तर-2) अंग्रेजी के पद पर भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत ऊपरी आयु सीमा में याचिकाकर्ताओं को 5 वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया जाए और यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आते हैं, तो उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ टीएसपी क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत शिक्षक (स्तर-2) अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति की पेशकश की जाए; और/या

iii) प्रतिवादियों को कृपया निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं का नाम दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक 10) के अंतिम परिणाम में उनकी योग्यता के अनुसार शामिल करें और याचिकाकर्ताओं को शिक्षक (स्तर-2) अंग्रेजी के पद पर

नियुक्ति प्रदान करें और उनकी उचित योग्यता के अनुसार जिला आवंटित करें।”

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं:

2.1. प्रारंभ में, उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सामान्य/विशेष शिक्षा) (स्तर-2, कक्षा 6 से 8) सीधी भर्ती-2021 के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद, दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन के माध्यम से अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें अधिकतम आयु मानदंड 40 वर्ष निर्धारित किया गया था। हालांकि, पिछले वर्षों में भर्ती नहीं होने के कारण ऊपरी आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई थी। इसी तरह, ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एससी/एसटी और सहरिया वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल की आयु में छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता, जो टीएसपी क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित हैं, का दावा है कि वे भी 5 साल की आयु में छूट देने के हकदार हैं।

2.2. याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए 09.06.2023 को सफल घोषित किया गया। परिणाम में सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ अंक 124.1258 घोषित किए गए, जबकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए। इस आशंका पर कि उन्हें 5 वर्ष की आयु में छूट नहीं दी जाएगी, उन्होंने 01.09.2023 को प्रतिवादियों को एक कानूनी नोटिस भी भेजा और उन्हें आयु में छूट देने के लिए उनकी उम्मीदवारी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन उक्त कानूनी नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. उत्तर में लिया गया बचाव इस प्रकार है:

3.1 अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित याचिकाकर्ता, आयु में छूट का लाभ लेने के बाद अनारक्षित श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र नहीं हैं, जिसका लाभ अन्यथा उनके अपने आरक्षित विशेष वर्ग के लिए है।

3.2 24.06.2018 के परिपत्र के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, जिन्होंने ऐसी श्रेणी के तहत आरक्षण की रियायत प्राप्त की है, वे अनारक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित होने के पात्र नहीं हैं। अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर भी यही प्रस्ताव लागू होगा। टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी और ऐसे उम्मीदवार को बिना किसी आयु छूट के अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए पात्र माना जा सकता है, हालांकि शुल्क में रियायत के साथ।

3.3. यह एक स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक तिथियों पर अधिक आयु के थे और पात्रता के लिए आयु में छूट का दावा कर रहे हैं। विज्ञापन में दिनांक 26.07.2017 के परिपत्र और आयु में छूट का उल्लेख है, जो अन्यथा ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन इस मामले में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उम्मीदवार अनारक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति चाहते हैं। इसलिए, याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और सभी याचिकाओं में संबंधित केस फाइलों के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील तर्क देंगे कि याचिकाकर्ताओं को 5 वर्ष की आयु में छूट न देने में प्रतिवादियों की कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 ('1996 के नियम') के नियम 265 (1) (ए) का स्पष्ट उल्लंघन है। 1996 के नियम 265 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

नियम 265. आयु - सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु अठारह वर्ष होनी चाहिए तथा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात् पहली जनवरी को उसकी आयु [चालीस वर्ष] से अधिक नहीं होनी चाहिए : बशर्ते कि :

(i) उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जाएगी,

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;

(ख) सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष; और

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 10 वर्ष।]

(ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा पचास वर्ष होगी,

(iii) पंचायतों के सचिव के रूप में पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पंचायत सचिव के रूप में दी गई सेवा की अवधि तक शिथिलनीय होगी, जो अधिकतम तीन वर्ष की सीमा के अधीन होगी,

(iv) विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी,

स्पष्टीकरण- विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और

तलाकशुदा के मामले में, उसे तलाक का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

यह तर्क दिया गया कि नियम 1996 के नियम 265(1)(ए) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन करने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित होने के कारण ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार हैं।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि टीएसपी क्षेत्र से संबंधित होने के आधार पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत याचिकाकर्ताओं को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट नहीं देने और उन्हें शिक्षक (स्तर-2) (अंग्रेजी) के पद पर नियुक्ति पाने के अवसर से वंचित करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है।

6.1. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए और उन्हें सफल घोषित किया गया। सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ अंक 124.1258 थे, जबकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रतिवादियों ने उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया है। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों से अनुरोध किया कि वे याचिकाकर्ताओं को आयु में छूट देकर उनकी उम्मीदवारी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

6.2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समान मामलों में, समान विवाद पहले से ही इस न्यायालय द्वारा किशोर कुमार पाटीदार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में तय किया गया है। (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14048/2017), 05.12.2017 को तय किया गया

था, जिसे बलराम सुथार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में दिए गए निर्णयों के बाद अनुमति दी गई थी। (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14367/2017), 01.12.2017 को तय किया गया और शिवलाल लबाना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3019/2015), 14.06.2016 को तय किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आयु में छूट के हकदार हैं।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जहां तक टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों का संबंध है, टीएसपी क्षेत्र में इन श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में आने वाले पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। चूंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण का कोई लाभ नहीं लेते हैं और उन्हें टीएसपी क्षेत्र में अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पद के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है, इसलिए वे किसी भी प्रकार की आयु में छूट के हकदार नहीं हैं।

7.1. इसके अलावा, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक तिथियों पर अधिक आयु के थे। पात्र होने के कारण, वे अब आयु में छूट का दावा कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

7.2 इसके अलावा, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार, जिसने ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लिया है, को टीएसपी में अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिए विचार करने की अनुमति दी जा सकती है और वह फीस के अलावा किसी भी आयु में छूट का दावा कर सकता है? यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपा ई.वी. बनाम भारत संघ के मामले में (2017) 12

एससीसी 680 में रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद भी, दीपा ई.वी. (सुप्रा) के मामले के बाद, राजस्थान राज्य ने 26.07.2017 (अनुलग्नक आर/1/2) दिनांकित एक परिपत्र जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी की छूट का लाभ उठाया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

7.3. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राहुल लोहार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा जताया। एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 15501/2023, 01/12/2023 को तय, समरथ मल कुम्हार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 12859/2018, 20.09.2022 को तय, हितेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 441/2019, 11.04.2019 को तय।

7.4. प्रतिवादी के विद्वान वकील-बोर्ड ने मलिक मजहर सुल्तान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य: 2006(9) एससीसी 507, अलसा राम मेघवाल बनाम आरपीएससी एवं अन्य में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया। : 2016(4) आरएलडब्लू 3106 (राज.), महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम सुनील संतोष पवार एवं अन्य : रिट याचिका संख्या 5858 एवं 4530/2015, दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत, धूलेश्वर घोगरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य : एसबीसीडब्लूपी संख्या 16192/2022, दिनांक 19.05.2023 को निर्णीत।

8. अब मैं तत्काल आदेश के आगामी पैराग्राफों में कारणों और चर्चा को दर्ज करके अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

9. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह ध्यान देने योग्य है कि भर्ती के मामलों में पात्रता मानदंड और योग्यता दो अलग-अलग पैरामीटर हैं और अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में विशेष श्रेणी के

उम्मीदवारों को कुछ छूट दी जाती है, अर्थात पात्रता के साथ-साथ योग्यता और उपयुक्तता।

10. सवाल यह उठता है कि क्या विशेष श्रेणी (आरक्षित) का कोई अभ्यर्थी, जो एक बार पात्रता और योग्यता दोनों में आयु में छूट का लाभ ले चुका है, वह सामान्य श्रेणी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लाभ लेने के लिए आगे आ सकता है?

11. इस सवाल का जवाब अनिवार्य रूप से नकारात्मक ही होगा। आइए देखें कैसे।

> आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त सीधी भर्ती में 10% होगा। किसी विशेष वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा। स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के वास्तविक निवासी हैं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए परिवार में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के

बच्चे। आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। साथ ही, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना, 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:

(i) 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;

(ii) 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड; या

(iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

13. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ('ईडब्ल्यूएस') के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण होगा, जो राजस्थान के वास्तविक निवासी हैं और एससी/एसटी/बीसी/एमबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इस प्रकार, सामान्य श्रेणी में भी 10% का क्षैतिज आरक्षण परिकल्पित किया गया है, बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा आय मानदंड पूरा किया गया हो।

14. अब, इस संदर्भ में दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसके तहत शिक्षकों के लिए 27000 पदों का विज्ञापन दिया गया है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने भी

भाग लिया था। याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं। विज्ञापन के खंड (3) में विशेष सूचना शीर्षक के अंतर्गत एक विशेष उप-खंड समाहित था, जबकि इसके खंड (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू नियमों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त खंड को दिनांक 19.02.2019 की अधिसूचना के साथ पढ़ने पर यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 2019 के उक्त नियमों के अंतर्गत आरक्षण का उचित हिस्सा दिया गया है।

15. अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाने वाली आयु सीमा में छूट के बारे में बात करते हैं। विज्ञापन के खंड (8) में कहा गया है कि अनारक्षित श्रेणी अर्थात सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। हालांकि, पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राजस्थान के सभी पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

16. इस संदर्भ में, यह सामान्य ज्ञान है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की 40 वर्ष की आयु उन लोगों के लिए 40+5 वर्ष के बराबर मानी जाएगी, जो किसी विशेष श्रेणी यानी एससी/एसटी/बीसी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस में आवेदन करना चाहते हैं। सीडब्ल्यूपी संख्या 13347/2017 में समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 11.10.2022 के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इसका प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "यह स्वीकार किया जाता है कि विज्ञापन के खंड 8(8) के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा

50 वर्ष थी। खंड 8 में संलग्न स्पष्टीकरण में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि लाइब्रेरियन ग्रेड-III के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पिछले तीन वर्षों से आयोजित नहीं की गई थी और इसलिए सभी आवेदकों को पहले से निर्धारित आयु सीमा के अतिरिक्त तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसलिए, विज्ञापन के खंड 8(8) और खंड 8 के स्पष्टीकरण के सह-संयुक्त वाचन से सबसे स्वाभाविक व्याख्या यह होगी कि भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए आयु सीमा 50 + 3 = 53 वर्ष होगी। याचिकाकर्ता की आयु 01.01.2017 को 51 वर्ष और 6 महीने होने के कारण वह आयु में छूट का हकदार था।

तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका विचारणीय है और इसे स्वीकार किया जाता है। चूंकि अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.2017 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में एक सीट को पहले ही रिक्त रखने का निर्देश दिया जा चुका है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को, यदि अन्यथा पात्र पाया जाता है, तो वर्तमान आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता मौद्रिक लाभों का हकदार नहीं होगा, लेकिन योग्यता में उससे कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्ति दिए जाने की तिथि से काल्पनिक लाभों का हकदार होगा।"

17. मैं उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ क्यों न दिया जाए। तदनुसार, ऐसा आदेश दिया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित याचिकाकर्ताओं को पांच वर्ष की आयु में छूट का लाभ दें,

बशर्ते कि अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के अनुसार उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो। 18. अब मामले के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए, यानी क्या याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी में चयनित अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने का लाभ दावा कर सकते हैं और इसलिए, दावा कर सकते हैं कि उन्हें ईडब्ल्यूएस से संबंधित नहीं होने वाले उम्मीदवार के बराबर सामान्य श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी किया जाए?

19. इस प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से नकारात्मक होना चाहिए।

20. सेबों को सेबों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और इसी तरह संतरे को संतरे से और दो को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अन्यथा, इसका परिणाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की भ्रामक प्रयोज्यता होगी। समानों को समानों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि असमानों से।

21. वर्तमान मामले में, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार होने के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने सामान्य श्रेणी में आयु में छूट मांगी, जो एक क्षैतिज आरक्षण है। इसलिए, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार होने के आधार पर उक्त आयु में छूट प्राप्त करने के बाद, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी से सामान्य श्रेणी में जाने का दोहरा लाभ नहीं मांग सकते, केवल इसलिए कि, जैसा कि दावा किया गया है, उन्होंने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि यह सेब और संतरे को मिलाने जैसा होगा।

22. इस संदर्भ में, दिनांक 26.07.2017 (अनुलग्नक आर/1/2) के परिपत्र का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

<u>परिपत्र</u>

विषय - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी

की रिक्तियों के लिए चयनित किए जाने पर दिया जाने वाला उपचार।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र संख्या 04.03.2014 के अधिक्रमण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3609/2012: दीपा ई.वी. बनाम भारत संघ एवं अन्य, दिनांक 06.04.2017 में पारित निर्णय के आलोक में विधि विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है, सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(क) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में आयु-सीमा, अंक, शारीरिक फिटनेस आदि में किसी भी विशेष छूट का लाभ नहीं उठाया है, जो इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट के अलावा उपलब्ध है, तथा वह अंतिम अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों में गिना जाएगा, न कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों में, जैसा भी मामला हो।

(ख) यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए चयनित हो जाता है,

बिना उन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलने वाली विशेष छूटों का लाभ उठाए, सिवाय शुल्क में छूट के, तो ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को, आगे की सभी सेवा मामलों, जिसमें आगे की पदोन्नति भी शामिल है, के लिए, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी माना जाएगा, तथा विभिन्न सेवा नियमों/सरकारी निर्देशों के अंतर्गत अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मिलने वाले सभी लाभ उन्हें मिलेंगे।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए चयनित हो जाते हैं, बिना उन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलने वाली विशेष छूटों का लाभ उठाए, सिवाय शुल्क में छूट के, इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा किसी विशेष पद/संवर्ग में धारित कुल पदों की संख्या निर्धारित करने के प्रश्न पर, इन श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों में नहीं गिने जाएंगे।

सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों से पहले निपटाए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

23. उपरोक्त परिपत्र दीपा ई.वी. बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप जारी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट

(2017) 12 एस.सी.सी. 680 में दी गई है। उक्त परिपत्र की प्रयोज्यता विवाद में नहीं है और न ही इसे चुनौती दी गई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को गैर-ई.डब्लू.एस. सामान्य श्रेणी की श्रेणी में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

24. मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यदि याचिकाकर्ताओं ने केवल शुल्क में छूट ली होती, जो छूट के अपवाद के अंतर्गत आती है, तो वे गैर-ई.डब्लू.एस. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लाभ ले सकते थे।

25. हालांकि, इस मामले में, उन्होंने आयु में विशेष छूट ली है और इसलिए, उन्हें उन उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, जिन्होंने उनकी तरह ई.डब्लू.एस. श्रेणी में आयु में छूट ली है।

26. तदनुसार, रिट याचिका को याचिकाकर्ताओं को आयु में छूट का लाभ देने की सीमा तक अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की श्रेणी में प्राप्त अंकों के अनुसार याचिकाकर्ताओं की योग्यता की पुष्टि करें और यदि उक्त श्रेणी में याचिकाकर्ताओं से कम अंक पाने वाले किसी उम्मीदवार/उम्मीदवारों का चयन किया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उनके प्रदर्शन के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में लाभ न दिया जाए।

27. याचिकाकर्ताओं की योग्यता निर्धारित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उन्हें आयु लाभ में छूट देने के बाद, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उनका चयन/नियुक्ति हो गई है और उचित परिणामी आदेश जारी करते हुए आज से दो महीने की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाए।

28. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

29. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।